न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3, गाजियाबाद।

संगणक पंजियन संख्या–1165/2026

जमानत आवेदन संख्या–428/2026

UPGZ010027042026

अनिल सपेरा पुत्र धर्मनाथ, निवासी–ग्रामः घडौली, सपेरा बस्ती, थाना–गाजीपुर, पूर्वी दिल्ली----------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य----------अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–1630/2022

धारा–392 भा०दं०सं०

थाना–इन्द्रापुरम, जनपद–गाजियाबाद

06.03.2026–

1– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र, मु०अ०सं०–1630/2022 धारा–392 भा०दं०सं०, थाना–इन्द्रापुरम, जिला गाजियाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से धर्मनाथ पुत्र शेरानाथ का शपथपत्र प्रस्तुत करके कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं उसे झूठा फसाया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। मात्र सह–अभियुक्त के बयान के आधार पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त एक पढ़ा–लिखा कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है। उसका व उसके परिवार के किसी भी सदस्य का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त का नाम मात्र सह–अभियुक्त सुरेश सपेरा के बयान के आधार पर लिखा गया है, जिसकी जमानत न्यायालय से दिनांकः 12.01.2023 को स्वीकृत की जा चुकी है। जब पुलिस अभियुक्त के घर गयी तो

Digitally signed by SUSHIL KUMAR
Date: 2026.03.06 17:13:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उसे जानकारी हुई तथा उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने में कोई देरी नहीं की गयी। अभियुक्त सम्मानित परिवार का सदस्य है। अतः जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

5– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांकः 07.12.2022 को दोपहर करीब 02.00 बजे वादिनी अपनी बेटी को स्कूल की बस से लेने पीपल चौक पर गयी थी। पीपल चौक के पास एक बंद बाडी की ईको कार सवार व्यक्ति ने उसके गले से सोने की चैन छीनकर ईको गाड़ी में बैठकर भाग गया। अतः रिपोर्ट लिखाकर उचित कार्यवाही करने की याचना की है।

6– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक अभियुक्त व अन्य सह–अभियुक्त द्वारा लूट का गम्भीर अपराध कारित किया है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

7– उभयपक्ष के तर्कों एवं थाना हाजा से प्रस्तुत प्रपत्रों के परिशीलन से परिलक्षित है कि प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक अभियुक्त अनिल सपेरा तथा सह–अभियुक्त सुरेश सपेरा द्वारा वादिनी मुकदमा के गले से सोने की चैन उस समय छीनकर भाग जाना कहा गया है जब वह अपनी बेटी को स्कूल की बस से उतरने पर लेने के लिए पीपल चौक आयी थी। सह–अभियुक्त सुरेश सपेरा के विरुद्ध आरोप–पत्र प्रेषित हो चुका है तथा आवेदक अभियुक्त अनिल सपेरा के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है। सहअभियुक्त सुरेश सपेरा की जमानत हस्तगत न्यायालय द्वारा दिनांकः 12.01.2023 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक अभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। थाना हाजा की आख्या अनुसार आवेदक अभियुक्त का कोई पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी/अभियुक्त अनिल सपेरा की ओर से मु०अ०सं०–1630/2022 धारा–392 भा०दं०सं०, थाना–इन्द्रापुरम, जिला–गाजियाबाद के मामले में प्रस्तुत जमानत आवेदन सं०–428/2026 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त अंकन 50,000/– रुपए के व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो विश्वसनीय, सक्षम प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाये–

(i) आवेदक/अभियुक्त जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ किये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रहेगा।

(ii) आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय में प्रकट न करने के लिए

मनाया जा सके।

(iii) आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iv) आवेदक/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

(v) आवेदक/अभियुक्त वाद के विचारण के दौरान साक्षियों से प्रतिपरीक्षा, कथन अन्तर्गत धाराः 313 दं०प्र०सं० तथा बहस के स्तर पर कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

(सुशील कुमार–चतुर्थ)

अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–03,

गाजियाबाद।

J.O. Code– UP6480